न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनर्विलोकन रिव्यू 135 -III/14

गुल्लू पुत्र तिजुआ चमार
निवासी ग्राम बरौदिया तहसील व जिला
अशोकनगर (म.प्र)

.....आवेदक

मुकेश भार्गव एडवोकेट
9-1-14
ग्वालियर

विरूद्ध

1. सुल्तान सिंह पुत्र भैयालाल यादव
2. राजा सिंह पुत्र भैयालाल यादव
3. नत्थू सिंह पुत्र भैयालाल यादव

निवासीगण ग्राम कोलुआ तहसील व जिला
अशोकनगर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्र.कं. 3272-III/13 में पारित आदेश दिनांक 5.9.13 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी भूले हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

2– यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही दौरान अनावेदकगण ने एक आवेदन तहसीलदार रतलाम को तलब कराने बावत पेश किया था जिसका विरोध करते हुये आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की थी कि तहसीलदार शासकीय राजस्व अधिकारी है उनकी गवाही से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रिव्यु. प्रकरण कमांक : 135/III/2014

जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.4.2014	यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3272/III/13 में पारित आदेश दिनांक 5–9–13 के पुनर्विलोकन करने हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा पुर्नविलोकन आवेदन के समर्थन में दिये गये तर्कों पर विचार करने न्यायालयीन आदेश दिनांक 5–9–13 की समीक्षा करने पर पाया गया कि आवेदक के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के आदेश दिनांक 13–8–13 में की गई कार्यवाही पर वही टिप्पणियॉ की है जो आदेश दिनांक 5–9–13 से निराकृत की जा चुकी हैं, जबकि पुनरावलोकन की स्वीकारोक्ति हेतु संहिता की धारा 51 में वर्णित अनुसार पुनरावलोकन आवेदन ठोस आधारों पर आधारित होना चाहिये। संहिता की धारा 51 के अनुसार पुनरावलोकन हेतु कम से कम निम्न आधारों में से कोई प्रबल आधार होना चाहिये –	

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला लिया है जो सम्यक तत्परता बरतने पर भी उसय समय जब आदेश किया गया था, पक्षकार के संज्ञान में नहीं आई अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकी।
2. मामले के अभिलेख से प्रकट कोई ऐसी भूल या गलती, जो स्पष्ट दिखाई देती हो, भी नहीं बता सके हैं।
3. अन्य ऐसा कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बता सके, जिसके आधार पर न्यायालयीन आदेश दिनांक 5.9.13 का पुनरावलोकन किया जाना लाजमी हो।

आवेदक के अभिभाषक आदेश दिनांक 5.9.13 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके एंव यह भी समाधान नहीं करा सके कि उक्त आदेश का पुनरावलोकन किया जाना किन कारणों से लाजमी है। अतः पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर